

# फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर



## प्रवेश विवरणिका सत्र 2022-23

महाविद्यालय स्थापना वर्ष - 1976

संचालित कोर्स –

स्नातकोत्तर (Post Graduation)

(a) M.A. (Hindi, Sanskrit, Urdu, Sociology, Economics, History, Geography)

(b) M.Com.

संचालित कोर्स के प्रकार – संस्थागत रेगुलर

सम्बद्धता – लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटें

स्नातकोत्तर स्तर-

| संकाय एवं विषय      | आवंटित सीट |
|---------------------|------------|
| वाणिज्य संकाय       |            |
| एम. कॉम .           | 60         |
| कला संकाय           |            |
| एम. ए. हिंदी        | 60         |
| एम. ए. समाज शास्त्र | 60         |
| एम. ए. भूगोल        | 60         |
| एम. ए. अर्थशास्त्र  | 60         |
| एम. ए. संस्कृत      | 60         |
| एम. ए. उर्दू        | 60         |
| एम. ए. इतिहास       | 60         |

## स्नातकोत्तर के प्रवेश सम्बन्धी नियम

- 1- सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष के प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगे।
- 2- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी | किसी भी दशा में प्रवेश पूर्ण होने से पहले कोई व्यक्तिगत एवं ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं होगा |
- 3- प्रवेश के लिए प्रवेश समिति एवं प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा |
- 4- प्रवेश केवल मेधा सूची (मेरिट) के आधार पर ही होगा |
- 5- मेरिट सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर प्रवेश निम्न नियम के अनुसार किया जायेगा
  - (i) स्नातक में समान अंक होने पर वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसके इंटरमीडिएट में अधिक अंक होंगे |
  - (ii) इंटरमीडिएट में भी समान अंक होने पर वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसके हाई स्कूल में अधिक अंक होंगे |
  - (iii) स्नातक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल तीनों में समान अंक होने पर उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक होगी |
6. जाति एवं आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किये जायेंगे |
7. हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंक पत्र सम्बंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रमाणित किये जायेंगे |
8. महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों को परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है |
9. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य या गलत सूचनाओं के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो जिस समय भी तथ्य पता चलेगा, उसका प्रवेश प्रारंभ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध IPC की सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी |
- 10- ऑनलाइन फार्म भरते समय छात्र/ छात्राएँ केवल अपना या अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर भरे जिससे भविष्य में छात्र से संपर्क किया जा सके | कंप्यूटर केंद्र या साइबर कैफे के व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर न भरे यदि वे अपना मोबाइल नंबर भरते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही / FIR की जाएगी |
- 11- प्रवेश सम्बन्धी जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट ([www.faagpgc.com](http://www.faagpgc.com)) देखते रहे या महाविद्यालय के ईमेल ([help.faagpgc@gmail.com](mailto:help.faagpgc@gmail.com)) से जानकारी प्राप्त करें | प्रवेश सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए महाविद्यालय परिसर में भीड़ इकट्ठा न करें |

## 12. आरक्षण सम्बन्धी नियम

### अ – उर्ध्व आरक्षण

- i - अनुसूचित जाति एवं जनजाति - 21+2 = 23%
- ii - अन्य पिछड़ा वर्ग -27%
- ii - आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग -10% (शासन के निर्देशों के आधार पर दिया जायेगा)

### ब - क्षैतिज आरक्षण

- i - दिव्यांग- 3%
- ii - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित - 2%
- ii - महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों - 2%

**नोट** – यदि आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी/ खाली रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जायेगा |

## 13. अर्हता सम्बन्धी नियम

### i- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष हेतु -

**1. एम. ए. –** सा ० /अ ० पि० व०/ आ० रूप से कमजोर वर्ग (General/OBC/EWS) के लिए 45 % तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) के लिए 40% |

### नोट-

(अ)- अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम के तीनों वर्ष में अध्ययन किये जाने की स्थिति में उसने स्नातक परीक्षा न्यूनतम सा ० /अ ० पि० व०/ आ० रूप से कमजोर वर्ग (General/OBC/EWS) के लिए 45 % तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) के लिए 40%).

(ब) अध्यायी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययन न किये जाने परन्तु स्नातक के प्रथम दो वर्षों में अध्ययन किये जाने की स्थिति में GEN/OBC/EWS के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 55 % तथा SC/ST के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 % निर्धारित हैं |

(स) अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन न किये जाने की स्थिति में GEN/OBC/ EWS के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 60 % तथा SC/SC के लिए स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55% निर्धारित हैं |

2. एम. कॉम - General/OBC/EWS के लिए 48% तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST के लिए 43%)

#### 14 - भारांक सम्बन्धी नियम

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

i - खेल - कूद/क्रीडा

राष्ट्रीय/ प्रदेश स्तर में प्रतिभाग - 2%

ii - एन० सी०सी०

बी प्रमाण पत्र - 2%

सी प्रमाण पत्र - 3%

iii - एन० एस० एस०

दो शिविर - 3%

एक शिविर - 2 %

iv - रोवर्स/रेंजर्स

महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल – 3%

निपुण - 2%

v. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र- छात्राओं को 3% अंको का भारांक प्रदान किया जायेगा।

नोट-

(अ)- श्रेणी i, ii, iii, iv और v को मिलाकर कुल भारांक 5% से अधिक देय नहीं होगा।

(ब) भारांक का लाभ न्यूनतम अर्हता पूरी होने पर ही मान्य होगा /देय होगा।

#### 15. गैप (अंतराल) सम्बन्धी नियम

केवल 2 वर्ष का गैप (अन्तराल) स्वीकृत किया जायेगा लेकिन प्रत्येक वर्ष के गैप के लिए 1% अंक घटा कर मेरिट बनायीं जाएगी तथा गैप हेतु शपथ पत्र भी देना होगा।

#### 16. प्रपत्र अपलोड करने के सम्बन्ध में नियम

## निम्न प्रपत्र अपलोड करें

- i - नवीनतम फोटो
- ii- हाईस्कूल अंक पत्र
- ii- इंटरमीडिएट अंक पत्र
- iv- स्नातक अंतिम वर्ष अंक पत्र
- v- जाति प्रमाण पत्र / EWS प्रमाण पत्र
- vi- भारांक सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- vii- दिव्यांगता / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र

## 17. शुल्क सम्बन्धी नियम

- i. आवेदन शुल्क Rs. 150/-
- ii. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की तालिका महाविद्यालय की वेबसाइट पर अलग से दी गयी है ।
- iii. निर्धारित शुल्क केवल ऑनलाइन ही काउंसलिंग के पश्चात् समय से जमा करना होगा ।
- iv. जमा किये गए शुल्क की प्रतियाँ स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है ।

## 18. प्रवेश सम्बन्धी प्रपत्र जमा करने के नियम

फीस जमा करने के पश्चात् समस्त प्रवेशित छात्र/छात्राएँ निम्न प्रपत्र दिए गए क्रम में स्वहस्ताक्षरित कर महाविद्यालय के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी ।

- i- फीस रसीद की प्रति
- ii- आवेदन फॉर्म की प्रति
- iii- आधार कार्ड की प्रति
- iv- हाईस्कूल के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रति
- v- इंटरमीडिएट के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रति
- vi- स्नातक अंतिम वर्ष के अंक पत्र की प्रति (स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु)
- vii- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

viii- भारांक सम्बन्धी प्रमाण पत्र

ix- गैप इयर सम्बन्धी शपथ पत्र

x- अंतिम संस्था द्वारा निर्गत स्थानांतरण / माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति

xi- अंतिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्रकी मूल प्रति

## 19. अनुशासन सम्बन्धी नियम

i- ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाये गए हों।

ii. समस्त प्रवेशित छात्र /छात्राएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर दिए गए अनुशासन सम्बन्धी स्वयं का घोषणा पत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

iii. महाविद्यालय में प्रवेशित समस्त छात्र/ छात्राओं को निर्धारित गणवेश में ही आना होगा तथा गणवेश सम्बन्धी अवहेलना अनुशासन नियमों के अंतर्गत मानी जाएगी।

## 20. गणवेश सम्बन्धी नियम

छात्र -

पैट - काली, शर्ट- ग्रे (स्लेटी रंग), जूता- काला, ग्रे मोजा।

छात्राएं -

कमीज (कुर्ती)- ग्रे (स्लेटी रंग), सलवार - सफ़ेद, दुपट्टा- सफ़ेद, जूता- काला, ग्रे मोजा।